रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062024-254769 CG-DL-E-18062024-254769

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

No. 413]

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मई. 2024

सं.-एल-1/270/2023/सीईआरसी.—िवद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, धारा 15 और धारा 16 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्निलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्ः

अध्याय-l

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 है।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "अधिनियम" से "विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)" अभिप्रेत है;

3560 GI/2024 (1)

- (ख) "करार" से अनुज्ञप्तिधारी और दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक (ग्राहकों) या केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, यथास्थिति, के बीच किया गया करार, संविदा, समझौता ज्ञापन, या विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण से संबंधित किसी पहलू पर लिखित में कोई अन्य प्रसंविदा अभिप्रेत और इसमें शामिल हैं;
- (ग) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने, या उसके संशोधन या उसके प्रतिसंहरण, यथास्थिति, के लिए आवेदन किया है;
- (घ) "आवेदन" से विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने, या उसके संशोधन या उसके प्रतिसंहरण, यथास्थिति, के लिए किया गया आवेदन अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे आवेदन के उपाबंध और संलग्नक शामिल हैं:
- (ङ) "बोली प्रक्रिया समन्वयक" या "बीपीसी" से प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए सेवाओं की खरीद के लिए सफल बोलीकर्ता के चयन और बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया के समन्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसी अभिप्रेत है;
- (च) "थोक ग्राहक" का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 में यथा परिभाषित है;
- (छ) "केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी" या "सीटीयू" से अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई सरकारी कंपनी अभिप्रेत है और इससे वर्तमान में यथा अधिसूचित सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) संदर्भित होगा;
- (ज) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (झ) "प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देश" से पारेषण परियोजनों के विकास के लिए अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अभिप्रेत हैं;
- (ञ) "डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवें परंतुकों के अनुसार विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्तिधारी माना गया है:
- (ट) "नामित आईएसटीएस ग्राहक" या "डीआईसी" का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग) विनियम, 2020 में यथा परिभाषित है;
- (ठ) "वित्तीय वर्ष" से वर्ष की 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है;
- (ड) "जीएनए विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 अभिप्रेत है;
- (ढ) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 अभिप्रेत है;
- (ण) "दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक" या "एलटीटीसी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अधीन जारी टीएसए के उपबंधों के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में पहुंच पाने या पाने के इच्छुक के लिए पारेषण सेवा करार (टीएसए) किया है;
- (त) इन विनियमों के प्रयोजन से "परियोजना" से विनियमित टैरिफ तंत्र या टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के रूप में विकसित किए जाने के लिए पारेषण योजना में शामिल घटक अभिप्रेत हैं;
- (थ) "परियोजना मोड" से पारेषण योजना के निष्पादन के लिए वह मोड अभिप्रेत है जिसके लिए परियोजना विनिर्दिष्ट एसपीवी समाविष्ट किए बिना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बीपीसी बोली आमंत्रित करता है, और सफल बोलीकर्ता को, बीपीसी से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त करने के बाद, परियोजना का कार्यान्वयन सौंपा जाता है;

- (द) "मानक" से अधिनियम की धारा 73 के खंड (ख), (ग) और (घ) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी मानक, सुरक्षा आवश्यकताएं और ग्रिड मानक अभिप्रेत हैं;
- (ध) "पारेषण प्रभार" से आयोग द्वारा धारा 63 के अधीन अंगीकृत या धारा 62 के अधीन अनुमोदित पारेषण प्रभार अभिप्रेत हैं:
- (न) "पारेषण योजना" से अधीनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा तैयार की गई योजना अभिप्रेत है।
- (2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय तथा जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, यहाँ परिभाषित नहीं किए गए, परंतु अधिनियम या नियमों या ग्रिड कोड या आयोग के किसी अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें क्रमशः अधिनियम या नियमों या ग्रिड कोड या सुसंगत विनियमों में प्रदान किया गया है।
- (3) समय-समय पर यथा संशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन को ऐसे लागू होंगे जैसे कि वे संसद के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू हैं।
- (4) किसी अधिनियम, नियमों और विनियमों के संदर्भ में उनके संशोधन, समेकन, या उसका पुनराधिनियमन शामिल है।

अध्याय - 2

अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना

3. आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ, संशोधनों और उनके सांविधिक पुनराधिनियमन सहित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 द्वारा शासित होंगी।

4. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु पात्रता

- (1) कोई भी व्यक्ति विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु पात्र नहीं जब तक कि-
 - (क) अधिनियम की धारा 63 के अधीन जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अधीन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हो; या
 - (ख) विनियमित टैरिफ तंत्र के अधीन परियोजना कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार या उसके प्राधिकृत एजेंसी द्वारा चयनित इकाई।
- (2) निम्नलिखित व्यक्तियों को विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगने की आवश्यकता नहीं होगी:
 - (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ अपनी वितरण प्रणाली संयोजित करने के लिए पारेषण लाइनों के विकास, रखरखाव और प्रचालन के लिए;
 - (ख) थोक ग्राहक, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ अपनी प्रणाली संयोजित करने के लिए समर्पित पारेषण लाइन के विकास, रखरखाव और प्रचालन के लिए।

अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु प्रक्रिया

- (1) अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन, इन विनियमों के साथ संलग्न फॉर्म-I में आयोग को किया जाएगा और अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित फीस के साथ किया जाएगा।
- (2) आवेदन, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 17 के अनुसार एफिडेविट के साथ किया जाएगा।
- (3) आवेदक, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर संलग्नकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में मूल आवेदन जमा करेगा और ऐसे आवेदन की कॉपी परियोजना के सभी संबंधित डीआईसी और केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेगा। आवेदन को परियोजना के उन संबंधित डीआईसी को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा जो आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।

- (4) आवेदक, इंग्लिश में अपनी वेबसाइट पर संलग्नकों के साथ संपूर्ण आवेदन अपलोड भी करेगा। आवेदक उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की भारतीय भाषा में इन विनियमों से जुड़े फॉर्म-I और फॉर्म-II के अनुसार विवरण अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा जहाँ परियोजना या संबंधित पारेषण लाइन का घटक अवस्थित है या अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। आवेदन को आवेदक की वेबसाइट पर तब तक प्रकाशित रखा जाएगा जब तक आयोग द्वारा इसका निपटान नहीं हो जाता।
- (5) आवेदक जन-साधारण से टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए आवेदन दाखिल करने के 3 कार्यदिवसों के अंदर कम से कम दो अग्रणी दैनिक डिजिटल समाचारप्रत्रों में इन विनियमों से जुड़े फॉर्म-II में अपने आवेदन का नोटिस प्रकाशित करेगा, एक अंग्रेजी भाषा में और अन्य उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की भारतीय भाषा में जहाँ परियोजना या संबंधित पारेषण लाइन का घटक अवस्थित है या अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। नोटिस को आवेदक की वेबसाइट पर प्रकाशित भी रखा जाएगा।
- (6) आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर आयोग की रजिस्ट्री, आवेदन की प्राथमिक संवीक्षा पर ज्ञात किमयों, यदि कोई हो, को सुधार के लिए सूचित करेगा। किमयों को आयोग की रजिस्ट्री से ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों की अविध के अंदर आवेदक द्वारा सुधारा जाएगा।
- (7) इस विनियम के अधीन डिजिटल समाचारपत्रों में और आवेदक की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस में, यह इंगित किया जाना चाहिए कि सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हो, नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को उस पते पर, जिस पर आयोग का कार्यालय स्थित है, और ई-मेल के पते: registry@cercind.gov.in पर दाखिल किए जा सकते हैं। सार्वजनिक नोटिस के प्रतिक्रिया में प्राप्त किसी सुझाव या आपत्ति को आवेदक के साथ और आयोग की रजिस्टी द्वारा प्रतिवादियों के साथ साझा किया जाएगा।
- (8) आवेदक, आयोग को इस विनियम के खंड (5) के अनुसार नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 3 कार्यदिवसों के अंदर नोटिस के प्रकाशन के सुसंगत पेज संलग्न करते हुए एफिडेविट पर प्रकाशित नोटिस के विवरण, उन डिजिटल समाचार पत्रों के नाम जिनमें नोटिस प्रकाशित किया गया है, उनके प्रकाशन की तारीख और स्थान प्रस्तुत करेगा।
- (9) सीटीयूआईएल अपनी संस्तुतियों, यदि कोई हो, को आवेदक को प्रति के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, जहाँ तक व्यावहारिक हो सके, 10 (दस) दिनों की अविध के भीतर आवेदन में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए किए गए प्रस्ताव को आयोग को भेजेगा:

परंतु यह कि यदि सीटीयूआईएल अपनी संस्तुतियों को 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो वह इसके लिए कारणों को आयोग को सूचित करेगा और आवेदक की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह और कि अपनी संस्तुतियों के साथ सीटीयूआईएल, समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली) नियम, 2021 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पारेषण परियोजना के अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण: केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी की संस्तुतियाँ, आयोग पर बाध्य नहीं होंगी।

- (10) आवेदक, सीटीयूआईएल और उस व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसने आवेदन में किए गए प्रस्ताव पर आपत्तियाँ और सुझाव दाखिल किए हैं, को अग्रिम प्रति के साथ ऐसे सुझावों और आपत्तियों की प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर, सार्वजनिक नोटिस की प्रतिक्रिया में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई हो, और सीटीयूआईएल द्वारा की गई संस्तुतियों पर, एफिडेविट द्वारा विधिवत रूप से समर्थित, अपनी टिप्पणियाँ दाखिल कर सकता है।
- (11) आयोग, आवेदक द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस के संदर्भ में डीआईसी से प्राप्त आपित्तयों और सुझावों तथा सीटीयूआईएल से प्राप्त संस्तुतियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव कर सकता है या लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से आवेदन को रह कर सकता है।
- (12) अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से पूर्व आयोग नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर अपने प्रस्ताव पर अतिरिक्त सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए, व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक डिजिटल समाचारपत्रों में और आयोग की वेबसाइट पर, जैसा भी आयोग समुचित समझे, उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु उसने प्रस्ताव किया है, उस परियोजना के विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु उसने प्रस्ताव किया है, परियोजना के घटकों की अवस्थिति या रूट, और कोई अन्य विवरण जैसा आयोग समुचित समझे, अपने प्रस्ताव का नोटिस प्रकाशित करेगा।

- (13) आयोग, इस विनियम के खंड (12) के अनुसार सार्वजिनक नोटिस की प्रतिक्रिया में प्राप्त और आगे के सुझावों और आपित्तयों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, इन विनियमों में संलग्न फॉर्म-III में आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है या लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से आवेदन को रद्द कर सकता है।
- (14) आयोग, इस विनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या आवेदन को रद्द करने से पूर्व आवोदक, सीटीयूआईएल, संबंधित डीआईसी, या उस व्यक्ति को जिसने आपत्तियाँ या सुझाव दाखिल किए हैं या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
- (15) आयोग, आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का आदेश करने के 7 दिनों के भीतर, अनुज्ञप्ति की प्रति केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, आवेदक और संबंधित डीआईसी को भेजेगा।

अध्याय – 3

अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें

6. <u>अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताएँ</u>

- (1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की वैधता के दौरान, प्रज्ञावान यूटिलिटी प्रेक्टिस के अनुसार पर्याप्त बीमा बनाए रखेगा या जो निम्नलिखित के अधीन आवश्यक हो सकेगा-
 - (क) किसी भी करार; और
 - (ख) भारत में प्रवृत्त विधि:

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी स्व-बीमा का विकल्प अपना सकेगा।

- (2) अनुज्ञप्तिधारी, परियोजना को समयबद्ध, दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी रीति से संनिर्मित करेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी प्रज्ञावान उपयोगिता व्यवहारों तथा करारों के अनुसार परियोजना को स्थापित, प्रचालित और उसका रखरखाव करेगा।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 26 के अधीन राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या धारा 28 की उपधारा (3) या उसकी धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के ऐसे दिशानिर्देशों का पालन करेगा जो समय-समय पर परियोजना की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जारी किए जाएं:

परंतु यह कि किसी अन्य कार्रवाई, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जा सकेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किए गए आवेदन पर तथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनने के बाद, और संतुष्ट होने पर कि पारेषण प्रणाली की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए अनुज्ञप्तिधारी असफल हो गया है, सीटीयूआईएल या अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अविध तथा ऐसे निबंधनों पर, जो आयोग विनिश्चय करे, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली का नियंत्रण करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा।

- (5) अनुज्ञप्तिधारी भारत में प्रवृत्त सभी विधियों, विशेष रूप से अधिनियम, अधिनियम के अनुसरण में विरचित नियमों तथा विनियमों, ग्रिड कोड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मानकों, आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा निर्देशों और पारेषण सेवा करार (टीएसए) के उपबंधों, जहाँ लागू हो, का कड़ाई से पालन करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, जीएनए विनियमों के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी, उत्पादन कंपनी, थोक उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए अपनी पारेषण प्रणाली को गैर-विभेदकारी निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी, जिसे इन विनियमों के संदर्भ में अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या समय-समय से यथा प्रवृत्त ऐसे अन्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा।
- (8) जहाँ भी आयोग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी सांविधिक पुनराधिनियमन सहित, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 के अनुसार आयोग के समक्ष समुचित आवेदन करेगा।
 - (9) अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सभी विनियमों का पालन करेगा।

7. प्रतिबद्ध क्रियाकलाप

अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के अनुसार कोई संविदा नहीं करेगा या विद्युत व्यापार के कारोबार में अन्यथा न लिप्त नहीं होगा।

8. अनुज्ञप्ति का समनुदेशन

ऋण प्रतिसंदाय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, आयोग ऋणदाता द्वारा किए गए आवेदनों पर अनुज्ञप्तिधारी के ऋणदाताओं को नामनिर्देशिती को अनुज्ञप्ति समनुदेशित कर सकेगा।

9. अनुज्ञप्ति के निबंधन

(1) अनुज्ञप्ति की अवधि

पारेषण अनुज्ञप्ति, जब तक पहले प्रतिसंहत न की गई हो, जारी किए जाने की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

(2) अनुज्ञप्ति का नवीकरण

(क) उन पारेषण आस्तियों के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति, जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया गया है, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से पच्चीस (25) वर्षों के समापन पर, एक समय पर अगले पच्चीस (25) वर्षों की अवधि के लिए स्वतः रूप से नवीकृत होगी जब तक कि वह पूर्व में प्रतिसंहत नहीं होती;

परंतु यह कि उन पारेषण आस्तियों के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया गया है, अनुज्ञप्ति के 25 वर्षों के समापन पर, अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि के समापन से दो वर्ष पूर्व इन विनियमों के विनियम 5 के अनुसार आवेदन करने पर पच्चीस (25) वर्षों से कम अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण की मांग कर सकता है:

परंतु यह और कि आयोग मामले की मेरिट पर विचार करने के बाद 25 वर्षों से कम आवधि के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकता है।

(ख) वह इकाई जिसे अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन उसके चयन के परिणामस्वरूप पारेषण अनुज्ञप्ति जारी की गई है, वह पच्चीस (25) वर्षों के बाद अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि के समापन से दो वर्ष पूर्व इन विनियमों के विनियम 5 के अनुसार आवेदन करेगा:

परंतु यह कि आयोग मामले के मेरिट पर विचार करने के बाद 25 वर्षों से कम अवधि के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकता है।

(ग) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आयोग को संपर्क करना अपेक्षित है, परंतु वह 25 वर्षों की आरंभिक अविध के बाद अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है, तो आयोग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए या जन हित में, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है या ऐसी योजना का निर्माण कर सकता है जैसी भी उसके उपयोगी जीवन के शेष भाग के लिए पारेषण आस्तियों के प्रचालन के लिए आवश्यक समझी जाए।

10. पारेषण टैरिफ

- (1) यदि अनुज्ञप्तिधारी का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया है, तो पारेषण सेवा करार के अनुसार पारेषण टैरिफ का अंगीकरण अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा किया जाएगा।
- (2) अन्य सभी मामलों, पारेषण टैरिफ का अवधारण, आयोग द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ के अनुसार अधिनियम की धारा 62 के अधीन किया जाएगा।
- (3) जहाँ पारेषण आस्तियों के टैरिफ का अवधारण आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन किया गया है, वहाँ 25 वर्षों की अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि के बाद ऐसी आस्तियों के टैरिफ का अवधारण अनुज्ञप्ति की विस्तृत अवधि के लिए लागू टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाता रहेगा।

7

- (4) 25 वर्षों की अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि के बाद की अवधि के लिए, उन पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ, जिन्हें विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 13.04.2006 के पत्र द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अधीन विकसित किया गया है, निम्नानुसार शासित होंगे,
- (i) जहाँ टैरिफ को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25वें वर्ष तक कोट किया गया है और अनुज्ञप्ति को इन विनियमों के विनियम 9 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के अनुसार विस्तारित किया गया है, वहाँ विस्तारित अवधि के लिए टैरिफ, इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर आयोग द्वारा यथा निर्णीत देय होगा।
- (ii) जहाँ टैरिफ को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 35वें वर्ष तक कोट किया गया है और अनुज्ञप्ति को इन विनियमों के विनियम 9 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के अनुसार और आगे विस्तारित किया गया है, वहाँ 26वें वर्ष से 35वें वर्ष की विस्तृत अविध के लिए टैरिफ प्रचालन के संबंधित वर्षों के लिए आयोग द्वारा अंगीकृत और बोली पर कोट की गई दर के आधार पर देय होगा।
- (iii) इस खंड के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन कवर की गई आस्तियों के संबंध में, 35वें वर्ष के बाद की अवधि के लिए टैरिफ, इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर आयोग द्वारा यथा निर्णीत देय होगा।
- (5) दिनांक 10.08.2021 के पत्र द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अधीन विकसित किए जा रही परियोजनाओं के पारेषण टैरिफ, उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होगा।
- (6) यदि अनुज्ञप्तिधारी (मूल अनुज्ञप्तिधारी), जिन्हें अधिनियम की धारा 63 के अधीन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के परिणामस्वरूप पारेषण अनुज्ञप्ति जारी की गई है, के पारेषण घटकों को सीटीयू की पारेषण योजना के कारण आशोधित या पुन: कॉन्फिगर किया जाना आवश्यक है, तो मूल अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण घटकों में आशोधन या पुन: कॉन्फिग्नेशन के किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव का वहन मूल अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभारों को प्रभावित किए बिना उस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा जिसे आशोधन या पुन: कॉन्फिग्नेशन का कार्य सौंपा गया है।

11. अनुज्ञप्ति फीस के विलंब संदाय या असंदाय के परिणाम

समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2022 के या प्रवृत्त किसी अन्य विनियम के अधीन विलंब संदाय अधिभार का संदाय करने की अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति फीस या उसके किसी भाग के संदाय में 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए विलंब या असंदाय को अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के भंग के रूप माना जाएगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी के लेखे

(1) अनुज्ञप्तिधारी –

- (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 के संदर्भ में किए गए कारोबार सिहत ऐसे प्रारूप में और ऐसे विवरण सिहत जैसा भी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए प्रत्येक कारोबार के लिए पृथक लेखा बनाए रखे जाएंगे और ऐसे समय तक जब तक आयोग द्वारा उन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा को समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
- (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समरूप आधार पर ऐसे अभिलेख लेखांकन, लेखांकन विवरणों को तैयार करेगा जिसमें लाभ तथा हानि लेखा, तुलनपत्र विवरण तथा स्रोत का विवरण तथा टिप्पणों सहित निधियों का उपयोजन सम्मिलित होगा तथा उसमें ऐसे किसी राजस्व लागत, आस्ति, दायित्व आरक्षिति या प्रावधान की रकम पृथक रूप से दर्शित होगी जो
 - (i) किसी अन्य कारबार से उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभारित की गई हों; या
- (ii) प्रभाजन या आबंटन के आधार पर वर्णन के साथ-साथ विभिन्न कारबार क्रियाकलापों के बीच प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित की गई हों।
- (ग) पूर्ववर्ती खंडों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तैयार किए गए ऐसे लेखा विवरण देगा जिसमें उनकी राय में विवरण पर्याप्त रूप से तैयार किए गए हों और जो उस कारबार, जिससे वे संबंधित हैं, से युक्तियुक्त रूप से माने जा सकने वाली राजस्व, लागत, आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों की सही तथा उचित छवि प्रदान करते हों।

13. लेखाओं का निरीक्षण

आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी युक्तियुक्त समय में अनुज्ञप्तिधारी के लेखाओं का निरीक्षण तथा उन्हें सत्यापित करने का हकदार होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

14. <u>सूचना का प्रस्तुतिकरण</u>

अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को सौंपी गई अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए ऐसी सूचना देगा, जो समय-समय पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, या प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वार मांगी जाए:

परंतु यह कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक ऊर्जा समिति समय-समय पर ऐसी उद्घटनाओं पर रिपोर्ट आयोग को देगा जो अनुज्ञप्तिधारी के कार्य-निष्पादन के बारे में समुचित समझी जाएं।

15. विवेकाधीन रिपोर्ट करना

अनुज्ञप्तिधारी यथा साध्य शीघ्र आयोग को निम्नलिखित रिपोर्ट देगा -

- (क) अनुज्ञप्तिधारी के प्रमुख शेयरधारण, स्वामित्व या प्रबंधन में किसी परिवर्तन; तथा
- (ख) करार के निर्वचन, संशोधन या समापन के लिए करार पर हस्ताक्षर करने वाले एक या उससे अधिक पक्षकारों द्वारा आरंभिक कोई भी कार्रवाई।

16. अनुज्ञप्ति का संशोधन

- (1) आयोग, अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों में स्व:प्रेरणा से या अनुज्ञप्तिधारी (डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर) द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन कर सकेगा यदि आयोग की राय है कि निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ जन हित के लिए ऐसा अपेक्षित है:
 - (क) जहां आयोग अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन की अपेक्षा अन्यथा कोई परिवर्तन या संशोधन का आदेश देता है तो आयोग इस प्रकार के दो दैनिक डिजिटल समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा जिसे वह निम्नलिखित विवरणों के साथ आवश्यक समझता है, अर्थात्
 - i. अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता;
 - ii. अनुज्ञप्ति में किए जाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन और संशोधन;
 - iii. इस प्रकार के परिवर्तनों और संशोधनों के लिए पृष्ठभूमि; और
 - iv. नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के अंदर आयोग के विचार के लिए प्रस्ताव पर सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई है, आमंत्रित करते हुए विवरण।
 - (ख) जहां मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी जिसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के अधीन चयन के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और बाद में परियोजना मोड के अधीन अतिरिक्त पारेषण घटक (घटकों) के कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के अधीन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया, तो इस विनियम के अनुसार आयोग के समक्ष आवेदन करने के बाद इसके मौजूदा अनुज्ञप्ति में इस प्रकार के पारेषण घटक (घटकों) को जोड़ने के पात्र होंगे।
 - (ग) जहां विनियमित टैरिफ तंत्र के अधीन पारेषण घटक (घटकों) के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार या इसकी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा नामित किए जाने के बाद पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, आगे उसे विनियमित टैरिफ तंत्र के अधीन अतिरिक्त पारेषण घटक (घटकों) के कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है, यह इस विनियम के अनुसार आयोग के समक्ष आवेदन करते हुए इसकी मौजूदा अनुज्ञप्ति में इस प्रकार के पारेषण घटक (घटकों) को जोड़ने का पात्र होगा।
- (2) इन विनियमों के विनियम 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि (खण्ड 13 को छोड़कर) आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में किसी संशोधन के लिए आवेदन करता है।

- (3) आयोग अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए प्रस्ताव पर सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए आयोग की वेबसाइट पर आवेदन द्वारा प्रस्तुत फार्म II को भी अपलोड करेगा।
- (4) आयोग अनुज्ञप्ति में इस प्रकार के संशोधन को कार्यान्वित करेगा जिसेप्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद आवश्यक समझा जाता है।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के अभिवृद्धि/संशोधन के मामले में इस प्रकार के अतिरिक्त घटकों के लिए पृथक खातों का रखरखाव अपेक्षित होगा।

17. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

- (1) आयोग निम्नलिखित किसी परिस्थिति में अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या संशोधन कर सकता है अर्थात्
 - (क) जहां आयोग की राय में अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के अनुसरण में तैयार किए गए विनियमों या नियमों या अधिनियम के अधीन कुछ भी अपेक्षित में जानबूझकर और दीर्घीकृत चूक करता है;
 - (ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी इसकी अनुज्ञप्ति की किसी निबंधन एवं शर्तों को भंग करता है;
 - (ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस ओर से निर्धारित अविध के अंदर या किसी दीर्घ अविध में जिसे आयोग संतुष्टि दर्शाने के लिए असफल रहता है जो इसकी अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर लगाई गई ड्यूटी और बाध्यताओं के निर्वाह के लिए पूर्णतया और कुशल है या जमा करने या प्रतिभूति प्रस्तुत करने या उसके अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित फीस या अन्य प्रभारों के लिए करता है;
 - (घ) जहां आयोग की राय में अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि यह अपने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाई गई बाध्यताओं और ड्यूटी के पूर्ण एवं कुशल निर्वहण के लिए असमर्थ है;
 - (ङ) जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण के लिए असफल या उपेक्षित रहा है;
 - (च) जहां अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधीन यथाअपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहा है;
 - (छ) जहां अनुज्ञप्तिधारी निर्माण या प्रचालन चरण के दौरान पारेषण सेवा करार की किसी निबंधन एवं शर्तों को भंग करता है:
- (2) अनुज्ञप्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आयोग द्वारा जांच के बाद प्रतिसंहरित नहीं की जाएगी और जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आधारों का वर्णन करते हुए लिखित में कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया गया है और प्रस्तावित प्रतिसंहरण के लिए उस नोटिस अविध के अंदर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दर्शाये कारण पर विचार करते हुए दिया गया है।
- (3) आयोग अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के स्थान पर इस प्रकार की निबंधनों एवं शर्तों जिसे वह ठीक समझता है, के अधीन प्रवृत्त बने रहने के लिए अनुज्ञप्ति की अनुमित देता है और अब तक लगाई गई किसी निबंधन शर्तें बाध्यकारी होंगी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन किया जाएगा और इसी प्रकार से प्रभावी होंगी जैसा कि वे अनुज्ञप्ति में शामिल की गई हैं।
- (4) जब अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करता है और आयोग संतुष्ट है कि अपेक्षित जनहित है तो आयोग इस प्रकार की निबंधन व शर्तों पर जिसे वह ठीक समझता है अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकता है।
- (5) आयोग अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिसंहरण का नोटिस सौंपेगा और वह तारीख नियत करेगा जिस पर प्रतिसंहरण प्रभावी होगा और साथ साथ यह भी निर्दिष्ट करेगा कि अनुज्ञप्ति के अधीन किस प्रकार की और कैसी बाध्यताओं का इस प्रकार के प्रतिसंहरण के बाद निर्वाह किया जाना है।
- (6) यदि आयोग किसी स्थिति में संतुष्ट है कि परियोजना का निर्माण] प्रचालन या रखरखाव को प्रभावित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परित्याग किया गया है] आयोग अधिनियम की धारा 20 और 21 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिताओं और बिक्री एवं अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए कार्यवाहियों के अंतरिम उपाए अनिर्णित अंतिम रूप में परियोजना के निर्माण, प्रचालन या रखरखाव के लिए केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी या आयोग द्वारा पाए गए किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को निर्देश कर सकता है:

अध्याय- 4

विविध

18. अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन के लिए क्रियाविधि

- (1) जहां अपने अधिग्रहण में सामग्री के आधार पर आयोग संतुष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की निबंधन व शर्तें में हस्ताक्षेप करने या हस्तक्षेप की संभावना है तो वह इसके स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उसके द्वारा हस्तक्षेप या हस्तक्षेप के लिए संभावित अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का वर्णन करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस सौंपेगा।
- (2) आयोग के ई-पोर्टल के माध्यम से नोटिस को इलेक्ट्रानिक रूप से डिलीवर करते हुए उन्हें सौंपा जाए और इसे रजिस्टर्ड कार्यालय या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या मैसेंजर के माध्यम से हैण्ड डिलीवरी करते हुए निवास या व्यवसाय के अंतिम अभिज्ञात स्थान पर सौंपा जा सकता है। जहां आयोग संतुष्ट है कि उपरिलखित ढंग से अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस सौंपना व्यवहारिक नहीं है तो आयोग इस ढंग से समाचारपत्रों में प्रकाशित करते हुए नोटिस सौंपने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है।
- (3) आयोग यदि यह समझता है कि इस प्रकार के हस्तक्षेप से प्रभावित या प्रभावित होने के लिए संभावित व्यक्तियों के ध्यान में मामला लाया जाना आवश्यक है तो इसे इस प्रकार के व्यक्तियों से सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षेप या हस्तक्षेप के लिए संभावित निबंधन व शर्तों को उल्लेख करते हुए एक या अधिक समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की निबंधन व शर्तों के हस्तक्षेप द्वारा प्रभावित होने के लिए संभावित या प्रभावित व्यक्तियों या अनुज्ञप्तिधारी खण्ड (1) या खण्ड (3) के अधीन समाचारपत्रों में नोटिस के प्रकाशन, यथास्थिति, के अधीन नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपनी आपत्तियां या सुझाव दाखिल कर सकता है।
- (5) आयोग उक्त प्राप्त की गई आपित्तयों और सुझावों पर विचार करने के बाद अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन को रक्षित करने के लिए इस प्रकार के आदेश पास करेगा या इस प्रकार के निर्देश जिसे वह आवश्यक समझता है, प्रदान करेगा।

19. विवाद समाधान

- (1) अनुज्ञप्ति के निर्वचन से संबद्ध या उसकी निबंधन व शर्तों से उदभूत सभी विवाद या उससे या भिन्नता को, यथासंभव, करारों के अनुसार पारस्परिक परामर्श और सामंजस्य से समाधान किया जाए।
- (2) खण्ड (1) में वर्णित ढंग से विवादों या भिन्नताओं के समाधान के लिए पार्टियों की असफलता की स्थिति में, इन्हें इस प्रकार की असफलता की रिकार्डिंग के एक माह के अंदर अधिनिर्णय या अधियस्तता के लिए आयोग को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदर्भित किया जाएगा।

20. <u>संस्चना</u>

- (1) इन विनियमों के अधीन संसूचनाओं को या तो प्रेषिती को लिखित में और व्यक्तिगत रूप में या इसके प्राधिकृत एजेंट को व्यक्तिगत रूप में डिलीवर किया जाएगा या प्रेषिती के कारोबार या निवास के अंतिम अभिज्ञात स्थान या सामान्य स्थान पर रजिस्टर्ड कार्यालय में स्पीडपोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।
- (2) सभी संसूचनाओं को संप्रेषणकर्ता द्वारा यह माना जाएगा और प्रेषिती द्वारा प्राप्त माना जाएगा -
- (क) जब प्रेषिती को या इसके प्राधिकृत एजेंट को डिलीवर किया जाए, या
- (ख) प्रेषिती के पते पर रजिस्टर्ड या स्पीडपोस्ट द्वारा संप्रेषण के भेजने की तारीख से 15 दिनों के बीत जाने पर।

21- शिथिल करने की शक्ति

आयोग, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, इन व्यक्तियों की श्रेणी के लिए लागू इन किसी विनियमों के प्रचालन से उदभूत कठिनाई को दूर करने के लिए प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन या इसकी स्वप्रेरणा से इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

22- कठिनाई दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई किठनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय आयोग, स्वप्नेरणा से या प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो अधिनियम के उपबंधों या केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी करने में किठनाई को दूर करने के लिए आवश्यक रूप में पाया जाए।

23. स्वप्रेरणा आदेश और निर्देश जारी करना

आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित स्वप्नेरणा आदेश और पद्धति निर्देश और आकस्मिक या उसकी आनुषंगिक मामलों, यथास्थिति, को समय समय से जारी करे।

24. निरसन और व्यावृत्तियां

- (1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तं तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) इन विनियमों के आरंभ से पूर्व आयोग द्वारा जारी पारेषण अनुज्ञप्ति को इन विनियमों के अधीन जारी किए जाने के लिए डीम्ड माना जाएगा और इसके शेष जीवन के लिए वैध किया जाना जारी रहेगा और ये विनियम इन विनियमों के आरंभ की तारीख से इस प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए लागू होंगे।

हरप्रीत सिंह प्रथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./182/2024-25]

फार्म 1

पारेषण अनुज्ञप्ति में संशोधन/पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन फार्म

- 1. आवेदक के विवरण
- i) आवेदक का नाम :
- ii) स्तर: वैयक्तिक/साझेदारी फर्म/प्राईवेट लिमिटेड कंपनी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी
- iii) पताः
- iv) नाम, पद एवं संपर्क का पता (2 व्यक्तियों का)
- v) संपर्क टेलीफोन नं. (2 नं.) :
- vi) फैक्स नं.:
- vii) ईमेल आईडी:
- viii) समावेशन/रजिस्ट्रेशन का स्थान:
- ix) समावेशन/रजिस्ट्रेशन का वर्ष:
- x) निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:
 - (क) रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र
 - (ख) आवेदक या इसके प्रोमोटर की वैध पावर आफ अटार्नी
- 2. परियोजना के विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति में संशोधन (मौजूदा घटकों की सूची और प्रस्तावित अभिवृद्धि/काटने वाले घटक) की मांग की जा रही है।
- (क) पारेषण लाइन:

क्र.सं.	नाम (अंतिम- प्वाइंट स्थान)	वाल्टेज क्लास (केवी)	वाल्टेज क्लास (केवी)	लंबाई (किलोमीटर)	टाईप (एस/सी या डी/सी)	टिप्पणी

(ख) सब-स्टेशन

क्र.सं.	नाम (स्थान)	वाल्टेज क्लास (केवी)	ट्रांसफार्मर (नं. और एमवीए क्षमता)	रिएक्टिव/केपेसिटिव क्षतिपूर्ति (एमवीएआर क्षमता के साथ डिवाइस)	बे की संख्या	टिप्पणी

- (क) टिप्पणी: स्थिति बताएं कि क्या घटक अस्तित्व में है या जोड़े जाने या समाप्त करने के लिए प्रस्तावित है
- (ख) अनुसूचित सीओडी
- (ग) परियोजना के लिए अभिज्ञात दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों या सीटीयू, यथालागू, के साथ करार।
- 3. प्रतिस्पर्धात्मक बोली के मार्गनिर्देशों के माध्यम से चयनित परियोजना के मामले में और अन्य मामले में परियोजना की अनुमानित पूर्णतः लागत के मामले में उदधृत पारेषण प्रभारः

(उदधृत पारेषण प्रभार या अनुमानित लागत, यथास्थिति, को अनुमानित लागत के मामले में बेस माह और वर्ष के साथ आईएनआर में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

- 4. यदि आवेदक का प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के अनुसार चयन किया गया है तो निम्नलिखित संलग्न करें*:*
- क. विद्युत (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों का पारेषण प्रणाली नियोजन, विकास और वसूली) नियम, 2021 के अनुसार केन्द्र सरकार का अनुमोदन।
- 5. दस्तावेजों की सूची संलग्न है

<u>दस्तावेजों के नाम</u>

(h)
١,	•	,

(ख)

(ग)

(ঘ)

दिनांक:

स्थान:

(आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

फार्म ।।

(पब्लिक नोटिस का फार्म)

क. नई अनुज्ञप्ति के मामले के लिए

आवेदक का मोनोग्राम, यदि कोई है आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में) आवेदक का पता (मोटे अक्षरों में) नोटिस (मोटे अक्षरों में)

(विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन) (मोटे अक्षरों में)

(कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए जिसमें एक अंग्रेजी में और दूसरा राज्य या संघशासित प्रदेश
की भारतीय भाषा में प्रकाशित किया जाए जहां परियोजना का घटक या संबंधित लाइन स्थित है।)
1(मोटे अक्षरों में आवेदक का नाम दे) जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय(मोटे अक्षरों में
पता दें), जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन शामिल किया गया है] ने पारेषण लाइनों, उपस्टेशनों और अन्य आस्तियों
के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय
विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली, के समक्ष आवेदन किया है, जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं।

क्र.सं.	लाइन/सबस्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन लम्बाई/ क्षमता	प्राक्कलित पूर्णतया लागत या स्तरीकृत पारेषण प्रभार	,	टिप्पणियां

व्याख्यात्मक नोट

- ये उक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यात्मक नोट हैं और इसे सार्वजनिक नोटिस में शामिल नहीं किया जाना है।
- 1.अनुमानित लागत के बेस माह और वर्ष सहित आईएनआर ने अनुमानित लागत
- 2.टिप्पणी स्तंभ में, किसी अन्य ब्योरों के अतिरिक्त जिसे आवश्यक समझा जाता है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या कोई आस्ति अनुप्रस्त होगी या स्थित की जाएगी] रक्षा परियोजनों के लिए सरकार की कब्जे में स्थान या किसी भवन या कैम्प या किसी केनटोनमेंट ऐरोड्राम फोरट्रेस, डाकयार्ड में आंशिक या पूर्ण रूप से होगी।

2.	आयोग	के	समक्ष	दाखिल	पूर्ण	आवेदन	और	अन्य	दस्तावेज	किसी	व्यक्ति	द्वारा	पहुंच	के	लिए
वेबर	पाइट		(वेब	साइट का	पता दें) पर उपत	नब्ध हैं।	आवेदन	न आयोग द्व	ारा विनि	र्दिष्ट क्रिय	गाविधि	के अनुस	गार ३	भायोग
के व	नार्यालय	या	(नि	रीक्षण की	अनुमरि	ते के लिए	ु प्राधिवृ	ृत व्यक्ति	क्ते का नाम	दें)	.में कंपर्न	ो के का	र्यालयं ग	में नि	रीक्षण
किय	ा जा सव	न्ता है	१ (पता य	ा पते का ग	संदर्भ दें	यदि मोन	नोग्राम र	में दिया	गया है)।						

3. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई है। समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर आवेदक को य	ा इसक <u>े</u>
प्राधिकृत एजेंट को आपत्तियों/सुझावों की प्रति सहित सचिव केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(आ	योग के
कार्यालय का पता दें) के समक्ष दाखिल की जायें।	

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम

ख. मौजूदा अनुज्ञप्ति में पारेषण घटक के जोड़ने या हटाने के मामले के लिए आवेदक का मोनोग्राम] यदि कोई है आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में) नोटिस (मोटे अक्षरों में)

(विद्युत अधिनियम	२००३ की धारा	18 की उपधारा	(2) के अर्थ	ोन) (मोरे	अथरों में
(।पञ्जूत जावागयम	2003 का वारा	ाठ का उपवास	(<i>८)</i> ५२ जव	।प) (भाट	जनरा न

(कम से क	म दो है	दैनिक	समाचा	रपत्रों में	प्रकाशित	किया	जाए वि	जेसमें	एक	अंग्रेजी '	में और	दूसरा	राज्य	या	संघशासित	प्रदेश
की भारती	य भाष	ा में प्र	काशित	किया ज	ाए जहां [,]	परियोज	ाना का	घटक	या र	नंबंधित <i>े</i>	लाइन	स्थित है	है।)			

1(मोटे अक्षरों में आवेदक का नाम दे) जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय	(मोटे	अक्षरों में
पता दें)] जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन शामिल किया गया है] ने पारेषण लाइनों] उपस्टेशनों औ	र अन्य	आस्तियों
के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उपधार	ر (1)	के अधीन
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग] नई दिल्ली] के समक्ष आवेदन किया है, जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं।	` ,	

- क. मौजूदा अनुज्ञप्ति का विवरण
- ख. पारेषण घटक के जोड़ने और घटाने का विवरण

क्र.सं.	लाइन/सबस्टेशन/पारेषण घटक का नाम (स्थान)	लाइन लम्बाई/ क्षमता	प्राक्कलित पूर्णतया लागत या उदृत पारेषण प्रभार (वृद्धि के मामले में)	अनुसूचित सीओडी (वृद्धि के मामले में)	टिप्पणियां

व्याख्यात्मक नोट

ये उक्त सचना प्रस्तत करने के लिए व्याख्यात्मक नोट हैं और इसे सार्वजनिक नोटिस में शामिल नहीं किया जाना है।

- 1. अनुमानित लागत के बेस माह और वर्ष सहित आईएनआर ने अनुमानित लागत
- 2. टिप्पणी स्तंभ में, किसी अन्य ब्योरों के अतिरिक्त जिसे आवश्यक समझा जाता है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या कोई आस्ति अनुप्रस्त होगी या स्थित की जाएगी, रक्षा परियोनों के सरकार की कब्जे में स्थान या किसी भवन या कैम्प या किसी केनटोनमेंट में आंशिक या पूर्ण रूप से होगी।
- 2. आयोग के समक्ष दाखिल पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा पहुंच के लिए वेबसाइट......(वेबसाइट का पता दें) पर उपलब्ध हैं। आवेदन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार आयोग के कार्यालय या....... (निरीक्षण की अनुमति के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दें).......में कंपनी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है (पता या पते का संदर्भ दें यदि मोनोग्राम में दिया गया है)।
- 3. आपत्तियां या सुझाव] यदि कोई है। समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर आवेदक को या इसके प्राधिकृत एजेंट को आपत्तियों/सुझावों की प्रति सहित सचिव केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग......(आयोग के कार्यालय का पता दें) के समक्ष दाखिल की जायें।

T_{OT}		٠.
स्थ	ıП	

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम

ग. पारेषण घटक के जोड़ने और घटाने के अतिरिक्त मौजूदा पारेषण अनुज्ञप्ति को बदलना या परिवर्तन करने के मामले में आवेदक का मोनोग्राम, यदि कोई है आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में)

आवेदक का पता (मोटे अक्षरों में) नोटिस (मोटे अक्षरों में)

(विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन) (मोटे अक्षरों में)
(कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए जिसमें एक अंग्रेजी में और दूसरा राज्य या संघशासित प्रदेश की भारतीय भाषा में प्रकाशित किया जाए जहां परियोजना का घटक या संबंधित लाइन स्थित है।)
1(मोटे अक्षरों में आवेदक का नाम दे) जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय(मोटे अक्षरों में पता दें), जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन शामिल किया गया है, ने पारेषण लाइनों, उपस्टेशनों और अन्य आस्तिय के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली, के समक्ष आवेदन किया है, जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं।
क. मौजूदा अनुज्ञप्ति का विवरण
ख. पारेषण घटक के जोड़ने और घटाने का विवरण
ग. ऐसे जोड़, घटाव, बदलना या परिवर्तन के लिए कारण
2(मोटे अक्षरों में आवेदक का नाम दे) जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय(मोटे अक्षरों में पता दें), जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन शामिल किया गया है, ने पारेषण लाइनों, उपस्टेशनों और अन्य आस्तियें के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली, के समक्ष आवेदन किया है, जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं।
3. आयोग के समक्ष दाखिल पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा पहुंच के लिए वेबसाइट(वेबसाइट का पता दें) पर उपलब्ध हैं। आवेदन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार आयोग के कार्यालय या (निरीक्षण की अनुमति के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दें)में कंपनी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है (पता या पते का संदर्भ दें यदि मोनोग्राम में दिया गया है)।
4. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई है। समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर आवेदक को या इसवे प्राधिकृत एजेंट को आपत्तियों/सुझावों की प्रति सहित सचिव केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(आयोग वे कार्यालय का पता दें) के समक्ष दाखिल की जायें।
स्थान:
दिनांक:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम

फार्म - III

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली

पारेषण अनुज्ञप्ति

1. विद्युत अधिनियम 2003 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) एतद्वारा इस अनुज्ञप्ति से संबद्ध अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित....... के निर्माण, स्वामित्व, रखरखाव और प्रचालन के लिए......(परियोजना का नाम) को अनुज्ञप्ति प्रदान करता है (इसके बाद अनुज्ञप्ति के रूप में संदर्भित) जिसे समय समय से यथासंशोधित या पुनर्विनियमित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें) विनियम, 2023 जिसे इस अनुज्ञप्ति के अनिवार्य अंग के रूप में पढ़ा जाएगा, के अधीन विनिर्दिष्ट अधिनियम, नियम एवं निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन इस अनुज्ञप्ति के अनिवार्य अंग के रूप में पढ़ा जाएगा।

- 2. पूर्णतया अनुसूची] अंतरण मूल्य, परिमापन क्षतियाँ, परियोजना कार्यान्वयन, गारंटी जमा, घरेलू मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि जैसी शर्तें लेकिन सीमित नहीं जिसे करारों में उपबंधों एवं बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किया गया है, को तब तक इस अनुज्ञप्ति के भाग के रूप में माना जाएगा जब तक यह उपबंध समय समय से यथासंशोधित या पुनर्विनियमित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें) विनियम, 2023 के प्रतिकूल हैं।
- 3. यह अनुज्ञप्ति समय समय से यथासंशोधित या पुनर्विनियमित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें) विनियम, 2023 में यथाप्रदत्त को छोड़कर अंतरणीय नहीं है।
- 4. अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करना इस अनुज्ञप्ति से संबद्ध अनुसूची में वर्णित परियोजना से भिन्न पारेषण प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार को किसी भी तरीके से या रीति से नियंत्रित नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी अनन्यता का दावा नहीं करेगा।
- 5. अनुज्ञप्ति, जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत नहीं हुई है, जारी होने की तारीख से 25 (पच्चीस) वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त होना जारी रखेगी।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:

<u>अनुसुची</u>

1.0 परियोजना संबंधित विवरणः

अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए परियोजना

क्र.सं.	पारेषण घटक का नाम	सीओडी की अनुसूचित तारीख

ऱ्थान: न	ाई दि	ल्ली		
नारीख:			 	

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2024

No. L-1/270/2023/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 read with Section 14, Section 15 and Section 16 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2024.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions and Interpretation

- (1) In these regulations, unless the context or subject otherwise requires -
 - (a) "Act" means "The Electricity Act, 2003 (36 of 2003)";
 - (b) "agreement" means and includes an agreement, contract, memorandum of understanding, or any other covenant in writing on any aspect relating to the inter- State transmission of electricity, entered into between the licensee and the Long Term Transmission Customer(s) or the Central Transmission Utility, as the case may be;
 - (c) "applicant" means a person who has made an application for grant or amendment or revocation of licence for inter-State transmission of electricity, as the case may be;
 - (d) "application" means the application made for grant or amendment or revocation of licence for inter-State transmission of electricity, as the case may be, and includes annexures and enclosures to such application;
 - (e) "bid process coordinator" or "BPC" means an agency notified by the Central Government to coordinate the process of inviting the bids and selecting the successful bidder for procurement of services for inter-State transmission of electricity, in accordance with the competitive bidding guidelines;
 - (f) "bulk consumer" shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007;
 - (g) "Central Transmission Utility" or "CTU" means any Government company notified by the Central Government under sub-section (1) of Section 38 of the Act and shall refer to Central Transmission Utility of India Limited (CTUIL) as presently notified;
 - (h) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;
 - (i) "competitive bidding guidelines" means the guidelines issued by the Central Government from time to time in terms of Section 63 of the Act for the development of transmission projects;
 - (j) "deemed licensee" means a person who is deemed to be a licensee for inter-State transmission of electricity in terms of first, second, third, fourth and fifth provisos to Section 14 of the Act;
 - (k) "Designated ISTS Customer" or "DIC" shall have the same meaning as defined in Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020;
 - (1) "financial year" means a period of twelve months commencing on 1st April of a year and terminating on 31st March of the following year;
 - (m) "GNA Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022;
 - (n) "Grid Code" means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;
 - (o) Long Term Transmission Customer" or "LTTC" means a person, who has entered into the Transmission Service Agreement (TSA) for availing or intending to avail access to the inter-State transmission system under the provisions of the TSA issued under competitive bidding guidelines;
 - (p) "project" for the purpose of these regulations means an element or elements included in the transmission plan to be developed as an inter-State transmission system either under regulated tariff mechanism or under tariff based competitive bidding;
 - (q) "project mode" means the mode for execution of the transmission project for which the BPC invites the bids for implementation of project without incorporating a project specific SPV, and the successful bidder, after receiving the Letter of Award (LoA) from the BPC, is entrusted to implement the project.;
 - (r) "standards" means and includes the technical standards, safety requirements and grid standards specified by the Central Electricity Authority under clauses (b), (c) and (d) of Section 73 of the Act;
 - (s) "transmission charge" means the transmission charges determined under Section 62 or adopted under Section 63 of the Act by the Commission, as the case may be;

- (t) "transmission plan" means the plan prepared by the Central Transmission Utility in accordance with the provisions of the Act or the Rules made thereunder.
- (2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act or the Rules or the Grid Code or any other regulations of the Commission shall have the meaning as assigned to them respectively in the Act or the Rules or the Grid Code or the relevant regulations.
- (3) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as amended from time to time, shall apply for the interpretation of these regulations as it applies to the interpretation of an Act of Parliament.
- (4) Reference to any Acts, Rules and Regulations shall include amendments, consolidation, or re-enactments thereof.

CHAPTER 2

GRANT OF LICENCE

3. Proceedings before the Commission

All proceedings before the Commission under these regulations shall be governed by the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023, including amendments and statutory re-enactments thereof.

4. Eligibility for Grant of licence

- (1) No person shall be eligible for grant of licence for inter-State transmission of electricity unless it is,
 - (a) selected through the process under the competitive bidding guidelines issued under section 63 of the Act; or
 - (b) an entity selected by the Central Government or its authorized agency to implement a project under the regulated tariff mechanism.
- (2) The following persons shall not be required to seek a transmission licence for inter-State transmission of electricity:
 - (a) A distribution licensee, for developing, maintaining and operating the transmission lines for connecting its distribution system with the inter State transmission system;
 - (b) A bulk consumer, for developing, maintaining and operating the dedicated transmission line for connecting its system with the inter-State transmission system.

5. Procedure for Grant of Licence

- (1) The application for the grant of licence shall be made to the Commission in Form-I appended to these regulations and shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Central Government from time to time under sub-section (1) of section 15 of the Act.
- (2) The application shall be supported with an affidavit in accordance with Regulation 17 of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023.
- (3) The applicant shall submit the original application in electronic form along with enclosures on the e-filing portal of the Commission and electronically serve a copy of such application on all the concerned DICs of the project and the Central Transmission Utility. The application shall be served through e-mail on the concerned DICs of the project who are not registered on the e-filing portal of the Commission.
- (4) The applicant shall also upload the complete application along with annexures on its website, in English. The applicant shall also upload on its website, the details as per Form-I and Form-II appended to these regulations in the Indian language of the State or the Union Territory where an element of the project or concerned transmission line is situated or proposed to be situated. The application shall be kept posted on the website of the applicant till such time the application is disposed of by the Commission.
- (5) The applicant shall, within 3 working days of filing the application, publish a notice of its application in Form-II appended to these regulations in at least two leading daily digital newspapers, one in English language and another in the Indian language of the State or Union Territory where an element of the project or concerned transmission line is situated or proposed to be situated, inviting comments from the general public. The notice shall also be kept posted on the website of the applicant.
- (6) The Registry of the Commission shall carry out a preliminary scrutiny of the application and convey the defects, if any, as far as possible within 7 days of receipt of the application. The defects shall be rectified by the applicant within a period of 7 days from the date of such intimation from the Registry of the Commission.

- (7) In the notice published in the digital newspapers and on the applicant's website under this Regulation, it shall be indicated that the suggestions and objections to the application, if any, may be filed by any person within 15 days of publication of the notice to The Secretary, Central Electricity Regulatory Commission at the address where the office of the Commission is situated and at email id: registry@cercind.gov.in. Any suggestion or objection received in response to the public notice shall be shared with the applicant and the respondents by the Registry of the Commission.
- (8) The applicant shall within 3 working days from the date of publication of the notice in terms of Clause (5) of this Regulation submit to the Commission on affidavit the details of the notice published, names of the digital newspapers in which the notice has been published, the dates and places of their publication and enclosing the relevant pages of the publication of notice.
- (9) The CTUIL shall send its recommendations, if any, to the Commission on the proposal for grant of licence made in the application as far as practicable within a period of 10 (ten) days from the date of receipt of the application with a copy to the applicant:

Provided that if CTUIL is unable to submit its recommendations within a period of 10 days, it shall inform the Commission the reasons for the same and submit its recommendations within a period of 30 (thirty) days from the date of receipt of the application:

Provided further that along with its recommendations, CTUIL shall submit the copy of approval of the transmission project by the Central Government in terms of Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-state Transmission Charges) Rules, 2021 as amended from time to time.

Explanation: The recommendations of the Central Transmission Utility shall not be binding on the Commission.

- (10) The applicant may file its comments, duly supported by an affidavit, on the recommendations made by CTUIL and the suggestions and objections, if any, received in response to the public notice within 7 working days of receipt of such suggestions and objections, with an advance copy to the CTUIL and the person, if any, who has filed the suggestions and objections on the proposal made in the application.
- (11) The Commission after considering the suggestions and objections received from the DICs and in response to the public notice published by the applicant, and the recommendations, if any, received from CTUIL may either propose to grant the licence to the applicant or for reasons to be recorded in writing, reject the application.
- (12) Before granting a licence, the Commission shall publish a notice of its proposal on the Commission's website and in two daily digital newspapers, having wide circulation, as the Commission may consider appropriate, stating the name and address of the person to whom it proposes to grant the licence, details of the project for which it proposes to grant a licence, location or route of the elements of the project, and any other details that the Commission may consider appropriate, to invite further suggestions and objections on its proposal within 15 days of the publication of the notice.
- (13) The Commission may, after consideration of the further suggestions and objections, if any, received in response to the public notice in terms of Clause (12) of this Regulation, grant licence to the applicant in Form-III appended to these regulations or for reasons to be recorded in writing, reject the application.
- (14) The Commission shall before granting licence or rejecting the application under the provisions of this Regulation provide an opportunity of hearing to the applicant, CTUIL, the concerned DICs, or the person who has filed suggestions and objections, or any other interested person.
- (15) The Commission shall, within 7 days of making the order to grant the licence to an applicant send a copy of the licence to the Central Government, the Central Electricity Authority, the Central Transmission Utility, the applicant and the concerned DIC(s).

CHAPTER 3

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

6. **Obligations of the Licensee**

- (1) The licensee shall, during the validity of the licence, maintain sufficient insurance in accordance with prudent utility practices or as may be necessary under-
 - (a) any of the agreements; and
 - (b) the laws in force in India:

Provided that the licensee may opt for self-insurance.

- (2) The licensee shall build the project in a time-bound, efficient, coordinated and economical manner.
- (3) The licensee shall establish, operate and maintain the project in accordance with the prudent utility practices and the agreements.
- (4) The licensee shall comply with such directions of the National Load Despatch Centre under section 26 of the Act or the Regional Load Despatch Centre under subsection (3) of section 28 or sub-section (1) of section 29 thereof, as may be issued from time to time for maintaining the availability of the project:

Provided that without prejudice to any other action which may be taken against the licensee under any other law for the time being in force, the Commission, on an application made by the National Load Despatch Centre or the Regional Load Despatch Centre and after hearing the licensee, and on being satisfied that the licensee has failed to maintain the availability of the transmission system, may issue such directions to the CTUIL or other transmission licensee to take control of the transmission system of such licensee for such period and on such terms, as the Commission may decide.

- (5) The licensee shall strictly comply with all laws in force in India and, in particular, the Act, the rules and regulations framed pursuant to the Act, the Grid Code, the Standards issued by the Central Electricity Authority, orders and directions issued by the Commission and the provisions of the Transmission Service Agreement, where applicable.
- (6) The licensee shall provide non-discriminatory open access to its transmission system for use by a transmission licensee, a distribution licensee, an electricity trader, a generating company, a bulk consumer or any other person in accordance with the GNA Regulations.
- (7) The licensee, who has been granted a licence in terms of these regulations, shall pay the licence fee in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2012 or such other regulations as may be in force from time to time:
- (8) Wherever prior approval of the Commission is required, the licensee shall make an appropriate application before the Commission in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023, as amended from time to time, including statutory re-enactment thereof.
- (9) The licensee shall comply with all applicable regulations specified by the Commission from time to time.

7. <u>Prohibited Activities</u>

The licensee shall not enter into any agreement or otherwise engage in the business of trading electricity in accordance with the Act.

8. <u>Assignment of Licence</u>

In case of default by a licensee in debt repayment, the Commission may, on an application made by the lenders of the licensee, assign the licence to a nominee of the lenders.

9. Terms of Licence

(1) Period of Licence

The transmission licence shall, unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 years from the date of issue.

(2) Renewal of Licence

(a) The transmission licence for the transmission assets whose tariff is determined by the Commission under Section 62 of the Act, shall, on completion of twenty-five (25) years from the date of issue of licence, stand automatically renewed for another period of twenty five (25) years at a time, unless revoked earlier;

Provided that the transmission licensee for transmission assets whose tariff is determined by the Commission under Section 62 of the Act, on completion of 25 years of license may seek renewal of the license for a period lesser than twenty-five (25) years by making an application in accordance with Regulation 5 of these regulations two years before the expiry of the initial period of licence:

Provided further that the Commission may renew the licence for a period less than 25 years after considering the merits of the case.

(b) An entity which has been issued transmission licence consequent to its selection under tariff based competitive bidding in terms of Section 63 of the Act shall, for renewal of licence beyond twenty five (25) years, make an application in accordance with Regulation 5 of these regulations two years before the expiry of the initial period of licence:

Provided that the Commission may renew the licence for a period less than 25 years after considering the merits of the

(c) Where the licensee is required to approach the Commission for renewal of license, but licensee does not make an application for renewal of licence beyond the initial period of 25 years, the Commission may, to protect the interest of the consumers or in the public interest, issue such directions or formulate such schemes as it may deem necessary for the operation of the transmission assets for the remaining part of its useful life.

10. Transmission Tariff

- (1) In case the licensee has been selected for implementation of the project in accordance with the competitive bidding guidelines, the transmission tariff in terms of the Transmission Service Agreement shall be adopted by the Commission under Section 63 of the Act.
- (2) In all other cases, the transmission tariff shall be determined under Section 62 of the Act, in accordance with the applicable tariff regulations notified by the Commission.
- (3) Where the tariff of the transmission assets has been determined by the Commission under Section 62 of the Act, the tariff of such assets beyond the initial period of licence of 25 years, shall continue to be determined in accordance with the applicable tariff regulations for the extended period of licence.
- (4) Tariff for transmission projects, which have been developed under competitive bidding guidelines issued by the Ministry of Power, Government of India vide letter dated 13.04.2006, as amended from time to time, for the period beyond the initial period of licence of 25 years, shall be governed as under,
 - (i) where the tariff has been quoted up to the 25th year from the date of commercial operation and the licence is extended in terms of sub-clause (b) of Clause (2) of Regulation 9 of these regulations, the tariff for the extended period shall be payable as decided by the Commission on an application made by the licensee in this regard.
 - (ii) where the tariff has been quoted up to the 35th year from the date of commercial operation and the licence is extended further in terms of sub-clause (b) of Clause (2) of Regulation 9 of these regulations, the tariff for the extended period from the 26th year to the 35th year shall be payable on the basis of the rate quoted at the bidding and adopted by the Commission for the respective years of operation.
 - (iii) the tariff for the period beyond the 35th year in respect of assets covered under sub-clause (i) and (ii) of this clause shall be payable as decided by the Commission on an application made by the licensee in this regard.
- (5) Transmission tariff of the Projects being developed under competitive bidding guidelines issued by the Ministry of Power, Government of India vide letter dated 10.08.2021, shall be governed in terms of the said guidelines.
- (6) In case the transmission elements of a licensee (original licensee), which has been issued transmission licence consequent to tariff based competitive bidding under Section 63 of the Act, are required to be modified or reconfigured due to the transmission plan of CTU, any additional financial implications of the modification or reconfiguration in the transmission elements of the original licensee, shall be borne by the licensee to whom the modification or reconfiguration work is assigned, without affecting the transmission charges of the original licensee.

11. Consequences of Late Payment or Non-payment of Licence Fee

Notwithstanding the liability of the licensee to pay the late payment surcharge under the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2022 as amended from time to time or any other regulations in force, delay in payment or non-payment of the licence fee or a part thereof, for a period exceeding 60 days, shall be construed as a breach of the terms and conditions of the licence.

12. Accounts of the Licensee

- (1) The licensee shall -
- (a) maintain separate accounts for each business, including the business undertaken in terms of the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Revenue Derived from Utilization of Transmission Assets for Other Business) Regulations, 2020, in such form and containing such particulars as may be specified by the Commission and till such time these are specified by the Commission, the accounts shall be maintained in accordance with the Companies Act, 2013, as amended from time to time.
- (b) prepare from such records, accounting statements for each financial year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of sources and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either-
 - (i) charged from or to any other business together with a description of the basis of that charge; or

- (ii) determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description on the basis of the apportionment or allocation.
- (c) get the accounting statements prepared in accordance with the foregoing clauses, duly certified by the Auditors in respect of each financial year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenues, costs, assets, liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate.

13. Inspection of Accounts

Any person authorised by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the licensee at any reasonable point in time, and the licensee shall be under obligation to render all necessary assistance to the person so authorized for inspection of accounts.

14. Submission of Information

The licensee shall submit such information, as may be called for from time to time by the Commission, the Regional Load Despatch Centre, or the Regional Power Committee in order to fulfill the responsibility of supervision and control over the inter State transmission system entrusted to the licensee under the Act:

Provided that the Regional Load Despatch Centre or the Regional Power Committee may, from time to time, report to the Commission on such developments as they consider appropriate in regard to the performance of the licensee.

15. Prudential Reporting

The licensee shall, as soon as practicable, report to the Commission-

- (a) any change in major shareholding, ownership or management of the licensee; and
- (b) any proceedings initiated by one or more of the parties signing the agreement for interpretation, amendment or termination of the agreement.

16. Amendment of Licence

- (1) The Commission may on its own motion or on an application made by the licensee (other than deemed licensee) or otherwise make such alterations and amendments in the terms and conditions of licence, if the Commission is of the opinion that the public interest so requires inter-alia under the following categories:
- (a) Where the Commission orders any alterations and amendments otherwise than on the application of the licensee, the Commission shall publish a notice in two such daily digital newspapers as it considers necessary with the following particulars, namely
 - i. name and address of the licensee;
 - ii. alterations and modifications proposed to be made in the licence;
 - iii. grounds for such alterations and modifications; and
 - iv. statement inviting suggestions and objections, if any, on the proposal for consideration of the Commission within the time specified in the notice.
- (b) Where an existing licensee which has been granted a transmission licence pursuant to selection under the competitive bidding guidelines, and is subsequently selected through the process under the competitive bidding guidelines to implement additional transmission element(s) under project mode, it shall be eligible to add such transmission element(s) to its existing licence, after making an application before the Commission in terms of this Regulation.
- (c) Where an existing licensee which has been granted a transmission licence pursuant to being nominated by the Central Government or its authorized agency to implement transmission element(s) under regulated tariff mechanism, is further nominated to implement additional transmission element(s) under regulated tariff mechanism, it shall be eligible to add such transmission element(s) to its existing licence, by making an application before the Commission in terms of this Regulation.
- (2) The procedure specified in Regulation 5 of these regulations (except clause 13) shall *mutatis mutandis* be applicable in case the licensee makes an application for any amendment to the licence.
- (3) The Commission shall also upload Form-II submitted by the applicant on the website of the Commission, inviting suggestions and objections on the proposal for amendment of the licence.
- (4) The Commission shall carry out such amendment to the licence as may be considered necessary after consideration of the suggestions and objections received.

(5) The licensee shall be required to maintain separate accounts for such additional elements in case of addition/modification of the licence.

17. Revocation of Licence

- (1) The Commission may revoke or modify the licence, in any of the following circumstances, namely -
 - (a) Where the licensee, in the opinion of the Commission, makes wilful and prolonged default in doing anything required of it by or under the Act or the Rules or the regulations framed pursuant to the Act;
 - (b) Where the licensee breaches any of the terms and conditions of its licence;
 - (c) Where the licensee fails, within the period fixed on this behalf by its licence or any longer period which the Commission may allow therefor, to show to the satisfaction of the Commission, that it is in a position fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on him by its licence or to make the deposit or furnish the security or pay the fees or other charges required by his licence;
 - (d) Where in the opinion of the Commission, the financial position of the licensee is such that it is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on it by its licence;
 - (e) Where a licensee has failed or neglected to undertake transmission of electricity;
 - (f) Where the licensee fails to submit the information as required under these regulations;
 - (g) Where the licensee breaches any of the terms and conditions of the Transmission Service Agreement during the construction or operations phase:
- (2) The licence shall not be revoked except after an enquiry by the Commission in accordance with principles of natural justice, and unless the licensee has been given not less than three months' notice in writing stating the grounds for revocation of licence and considering the cause shown by the licensee within the period of that notice against the proposed revocation.
- (3) Commission may, instead of revoking the licence, permit the licence to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms and conditions so imposed shall be binding upon and be observed by the licensee and shall be of like force and effect as if they were contained in the licence.
- (4) When the licensee makes an application for revocation of the licence and the Commission is satisfied that public interest requires it, the Commission may revoke the licence, on such terms and conditions as it thinks fit.
- (5) The Commission, shall serve a notice of revocation upon the licensee and fix a date on which the revocation shall take effect and shall simultaneously specify how and by whom the obligations under the licence are to be discharged after such revocation.
- (6) If the Commission at any stage is satisfied that the project has been abandoned by the licensee thereby affecting its construction, operation, or maintenance, the Commission may direct the Central Transmission Utility or any other person found suitable by the Commission, to immediately take over construction, operation or maintenance of the project as an interim measure pending finalization of proceedings for revocation of licence and sale and vesting of utilities of the licensee in accordance with sections 20 and 21 of the Act:

CHAPTER 4

MISCELLANEOUS

18. Procedure for Securing Compliance of Terms and Conditions of Licence

- (1) Where the Commission, on the basis of material in its possession is satisfied that the licensee is contravening or is likely to contravene the terms and conditions of the licence, it shall serve a notice to the licensee narrating the terms and conditions of licence contravened or likely to be contravened by him to seek its explanation.
- (2) The notice may be served on him by delivering the same electronically, including through the e-portal of the Commission and at the registered office or at its usual or last known place of residence or business, either through registered post or speed post or by hand delivery through a messenger. Where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notice on the licensee in the manner as mentioned, the Commission may direct for service of notice by publication in the newspaper in such manner as considered appropriate by the Commission.
- (3) The Commission, if it considers that it is necessary to bring the matters to the attention of persons affected or likely to be affected by such contravention, shall publish a notice in one or more newspapers specifying the

terms and conditions contravened or likely to be contravened by the licensee to invite suggestions from such persons.

- (4) The licensee or the persons affected or likely to be affected by the contravention of the terms and conditions of the licensee may file their objections or suggestions within 30 days from the date of receipt of notice under clause (1) or publication of notice in the newspapers under clause (3), as the case may be.
- (5) The Commission shall, on consideration of the objections and suggestions received as aforesaid, pass such order or give such directions as may be necessary to secure compliance with the terms and conditions of the license.

19. <u>Dispute Resolution</u>

- (1) All disputes or differences arising out of or connected with the interpretation of the licence or the terms and conditions thereof, shall, as far as possible, be resolved by mutual consultation and reconciliation in accordance with the agreements.
- (2) In the event of failure of the parties to resolve the disputes or differences in the manner stated in clause (1), these shall be referred by the licensee to the commission for adjudication or arbitration, within one month of recording of such failure.

20. Communication

- (1) All communications under these regulations shall be in writing and shall be delivered either in person to the addressee or its authorised agent or sent by registered post or speed post at the registered office or at the usual or last known place of residence or business of the addressee.
- (2) All communications shall be deemed to have been given by the sender and received by the addressee
 - (a) when delivered in person to the addressee or to its authorised agent; or
 - (b) on expiry of 15 days from the date of sending the communication by registered or speed post at the address of the addressee.

21. Power to Relax

The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an affected person to remove the hardship arising out of the operation of any of these regulations, applicable to a class of persons.

22. Power to Remove Difficulty

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, on its own motion or on an application made before it by an affected person, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, the Rules or provisions of other regulations specified by the Commission, as may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations.

23. Issue of Suo Moto Orders and directions

The Commission may, from time to time, issue suo moto orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and matters incidental or ancillary thereto, as the case may be.

24. Repeal and Saving

- (1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time, are hereby repealed.
- (2) The transmission licences issued by the Commission prior to commencement of these regulations shall be deemed to have been issued under these regulations and shall continue to be valid for the balance periods of licence and these regulations shall apply to such licences from the date of commencement of these regulations.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./182/2024-25]

FORM-I

Application Form for Grant of Transmission licence / Amendment in the Transmission licence

1. Particulars	of the	Applicant
----------------	--------	-----------

- i) Name of the Applicant:
- Status Individual/ partnership firm/ Private
 Limited Company/ Public Limited Company
- iii) Address
- iv) Name, Designation & Address of the Contact Person (2 persons):
- v) Contact Tel. No. (2 nos.)
- vi) Fax No.
- vii) Email ID(s):
- viii) Place of Incorporation / Registration:
- ix) Year of Incorporation/Registration:
- x) Following documents are to be enclosed:
 - (a) Certificate of registration
 - (b) Original Power of Attorney of the signatory to commit the Applicant or its promoter
- 2. Particulars of the Project for which licence / Amendment in licence (list of existing elements and proposed addition /deletion element in case) is being sought:
 - (a) Transmission Lines:

S. No.	Name (end-points	Voltage Class	Length (Km)	Type (S/C or	Remarks
	location)	(kV)		D/C)	

(b) Sub-stations

S. No.	Name (location)	Voltage Level(s) (kV)	Transformer (Nos. and MVA capacity)	Reactive / capacitive compensation (device with MVAR capacity)	No. of Bays	Remarks

- (a) Remarks: Status whether the element is existing or proposed to be added or deleted
- (b) scheduled COD;
- (c) Agreements with Identified Long-term transmission customers or CTU for the Project, as applicable:
- 3. Quoted transmission charges in case of project selected through the guidelines of competitive bidding and estimated completion cost of the project in other cases:

(The Quoted transmission charges or the estimated cost, as the case may be, should be indicated in INR, along with the base month and year in case of the estimated cost)

- 4. In case applicant has been selected in accordance with the competitive bidding guidelines, enclose:
 - (a) Approval of Central Government as per Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-state Transmission Charges) Rules, 2021.

		4.	.		a				
	(b) Evaluation report (if made public) by the Bid Process Coordinator.								
	5.	List of docu	uments enclose						
	Name of document								
		a)							
		b)							
		c)							
		d)							
Da	ted:								
Pla	ice:								
				(Signature of A	Applicant or the person	on Authorised)			
						Form II			
					(Form of	Public Notice)			
A	. For cas	e of new lice	ence						
Mo	nogram, i	if any, of the	e applicant Na	me of the applicant (In bold letters) A	ddress of the applic	ant (In bold			
				letters)					
				NOTICE (T. 1.111.44)					
~	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NOTICE (In bold letters)					
				ne Electricity Act, 2003) (In bold letter					
				y newspapers, one in English and another of the project or concerned line is situate		age of the			
~		-		ame of the applicant in BOLD LETTE		ristered Office			
		at	(Give the addre	ess in BOLD LETTERS), which is inco	rporated under the C	ompanies Act,			
				cation before the Central Electricity Respection 15 of the Electricity Act. 2003					
				ection 15 of the Electricity Act, 2003 the lines, sub-stations and other assets, the					
	Name of		Line length/	Estimated Completion Cost or	Schedule COD	Remarks			
Sl.	line/Sub	- station	Capacity	Levelised Transmission					
No.	(location			Charges					

Explanatory note:

These are explanatory notes for submitting above information and not to be included in the public notice.

- 1. The estimated cost in INR along with the base month and year of the estimated cost.
- 2. In the remarks column, in addition to any other details that may be considered necessary, it should be clearly mentioned whether any of the assets will traverse or will be located, wholly are partly, in any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or any of the buildings or place in occupation of the Government for Defence purposes

2.	Complete application and other documents filed before the Commission are available on the web
	siteGive web site address) for access by any person. The application can also be inspected at
	the office of the Company at(Give address or reference to address, if given in the monogram)
	with (Give name of the person authorised to allow inspection) or Office of the Commission in
	accordance with the procedure specified by the Commission.

3.	Objections or suggestions, if any, be filed before the Secretary, Central Electricity Regulatory
	Commission,(Give address of the Office of the Commission), with a copy of the
	objection(s)/suggestion(s) to the applicant or its authorized agent, within 15 days of the publication of
	the notice in the newspaper.

Place:	Name and Designation of the
	Authorised signatory
Date:	

B. For case of Addition or deletion of transmission element in an existing licence

Monogram, if any, of the applicant Name of the applicant (In bold letters) Address of the applicant (In bold letters)

NOTICE (In bold letters)

(Under sub-section (2) of Section 18 of the Electricity Act, 2003) (In bold letters)

(To be published in at least two digital daily newspapers, one in English and another in the Indian language of the State or Union Territory where an element of the project or concerned line is situated)

- 1.(Give here name of the applicant in BOLD LETTERS), having its Registered Office at.....(Give the address in BOLD LETTERS), which is incorporated under the Companies Act, 1956, has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi under sub-section (2) of Section 18 of the Electricity Act, 2003 for grant of transmission licence in respect of the transmission lines, sub-stations and other assets, the details of which are given
 - a. Details of existing license
 - b. Details of transmission element to be added or deleted

Sl.	Name of the	Line length/	Estimated Completion Cost or	Schedule	Remarks
No.	line/Sub- station / transmission element (location)	Capacity	Quoted Transmission Charges (in case of addition)	COD (in case of addition)	
			(in this of habition)		

Explanatory note:

These are explanatory notes for submitting above information and not to be included in the public notice.

- 1. The estimated cost in INR along with the base month and year of the estimated cost.
- 2. In the remarks column, in addition to any other details that may be considered necessary, it should be clearly mentioned whether any of the assets will traverse

or will be located, wholly are partly, in any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or any of the buildings or place in occupation of the Government for Defence purposes

3.	Objections or suggestions, if any, be filed before the Secretary, Central Electricity Regulatory
	Commission,(Give address of the Office of the Commission), with a copy of the
	objection(s)/suggestion(s) to the applicant or its authorized agent, within 15 days of the publication of
	the notice in the newspaper.

Place:	Name and Designation of the
Date:	Authorised signatory

C. For case of alteration or modification of existing licence other than addition or deletion of a transmission element

Monogram, if any, of the applicant

Name of the applicant (In bold letters)

Address of the applicant (In bold letters)

NOTICE (In bold letters)

(Under sub-section (2) of Section 18 of the Electricity Act, 2003) (In bold letters)

(To be published in at least two digital daily newspapers, one in English and another in the Indian language of the State or Union Territory where an element of the project or concerned line is situated)

- 1.(Give here name of the applicant in BOLD LETTERS), having its Registered Office at..........(Give the address in BOLD LETTERS), which is incorporated under the Companies Act, 1956, has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi under sub-section (2) of Section 18 of the Electricity Act, 2003 for alteration or modification of transmission licence in respect of the transmission lines, sub-stations and other assets, the details of which are given
 - (a) Details of transmission elements under existing license
 - (b) details of alteration and modifications proposed in the application,
 - (c) reasons for seeking such addition, deletion, alterations and modifications;
- 2.(Give here name of the applicant in BOLD LETTERS), having its Registered Office at..........(Give the address in BOLD LETTERS), which is incorporated under the Companies Act, 1956, has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi under sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for grant of transmission licence in respect of the transmission lines, sub-stations and other assets, the details of which are given.
- 4. Objections or suggestions, if any, be filed before the Secretary, Central

Electricity Regulatory Commission,(Give address of the Office of the Commission), within 15 days of the publication of the notice in the newspaper.

Place	Name and Designation of the
Date	Authorised signatory

Form-III

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NEW DELHI TRANSMISSION LICENCE

- 1. The Central Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "Commission"), in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "Act"), hereby grants the licence to (hereinafter referred to as the licensee) to construct, own, maintain and operate......(Name of the Project), more specifically described in the schedule attached to this licence, which shall be read as a part and parcel of this licence, subject to the Act, the rules and the terms and conditions specified under the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2023 as amended or re-enacted from time to time which shall be read as part and parcel of this licence.
- 2. The conditions such as but not limited to, completion schedule, transfer value, liquidated damages, Project Implementation Guarantee Deposit, escalation due to domestic inflation, which are specified in bid documents and provisions in the Agreements, shall be treated as part of this licence, unless these provisions are contrary to the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2023 as amended or re-enacted from time to time.
- 3. This licence is not transferable, except as provided in the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2023 as amended or re-enacted from time to time.
- 4. The grant of licence to the licensee shall not in any way or manner restrict the right of the Commission to grant a licence to any other person within the same area for the transmission system other than the Project described in the schedule attached to this licence. The licensee shall not claim any exclusivity.
- 5. The licence shall, unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years from the date of issue.

Place: New Delhi.	
Date:	

SCHEDULE

1.0 Project Related Details:

The Project comprises of following elements of the Inter-State Transmission System:

S. No.	Name of the transmission element	Scheduled date of COD

Place	:: I`	ve.	W	L	e	In	1			
Date:										•